बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक– 01/विकास–16098/2015–पार्ट–1– पटना, दिनांक– जुलाई, 2024

संयुक्त आदेश

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रतिवेदित आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के प्रतिवेदन का तुलनात्मक समीक्षा के क्रम में प्रायः अन्तर होता है।

यह निर्णय लिया गया है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आगामी होने वाले फसल कटनी प्रयोग में ईख पदाधिकारी निश्चित रूप से कम से कम 15 प्रतिशत फसल कटनी प्रयोग में भाग लेगें तथा शेष फसल कटनी प्रयोग में वे अपने अधीनस्थ किसी कर्मी को भाग लेने हेतु सुनिश्चित करेंगे।

ईख पदाधिकारी जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर फसल कटनी प्रयोग का कार्यक्रम प्राप्त कर लेगें तथा संभावित कार्यक्रम के अनुरूप स्वंय एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों को भाग लेने हेतु कार्यक्रम तैयार कर उनके बीच ससमय परिचारित करेगें ताकि प्रत्येक फसल कटनी में गन्ना उद्योग विभाग के कर्मी निश्चित रूप से भाग लें। जो कर्मी फसल कटनी प्रयोग में भाग लेगें वे **Latitude & Longitude** के साथ **Cane Care Whatsapp Group** पर फोटोग्राफ अपलोड करेगें।

गैर चीनी मिल क्षेत्रों के जिला में फसल कटनी का प्रयोग संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा कराया जायेगा। उप निदेशक, ईख विकास अपने क्षेत्राधीन जिलांतर्गत फसल कटनी प्रयोग का पूर्ण पर्यवेक्षण करेंगें तथा समय–समय पर उपलब्धि से ईखायुक्त को अवगत करायेगें।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा गन्ना के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित प्रतिवेदन सांख्यिकी निदेशालय को भेजने के पूर्व संबंधित ईख पदाधिकारी को उक्त प्रतिवेदन भेजेगें तथा 07 दिनों के अन्दर ईख पदाधिकारी प्रतिवेदन में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो अपना सुझाव जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्राप्त सुझाव के आलोक में आवश्यक सुधार करेंगें तथा अंतिम प्रतिवेदन निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी तथा ईखायुक्त को उपलब्ध कराते हुए इसकी एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास को भी उपलब्ध करायेगें। ईख पदाधिकारी को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से इस कार्य हेतु समन्वय की पूर्ण जवाबदेही होगी।

अतः निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गन्ना के फसल कटनी प्रयोग का कार्य ससमय निष्पादित किया जाय। इसमें अगर किसी स्तर से कोताही बरती जायेगी तो संबंधित पदाधिकारी कार्रवाई के पात्र होगें।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।
3. यह आदेश अगले आदेश तक लागू समझा जाय।

5.8.24

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

(हिमांशु कुमार राय)
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 01/विकास–16098/2015–पार्ट–1–800/ई०का० पटना, दिनांक– 05 अगस्त ~~जुलाई~~, 2024

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय के संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/सचिव, बिस्मा/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2024

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 01/विकास–16098/2015–पार्ट–1–800/ई०का० पटना, दिनांक– 05 अगस्त ~~जुलाई~~, 2024

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2024

ईखायुक्त, बिहार।